कार्यालय
विशेष भू अर्जन पदाधिकारी
कोशी योजना, दरभंगा।

संख्या..........2863............ **दरभंगा दिनांक.....05/07/17.......**

आम सूचना

सतत् लीज अभिलेख सं0 **9**/2016–17

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात **जगतपुर लघु नहर ओ0एल0–5 जलवाहा** निर्माणार्थ निम्न विवरणी की भूमि जो माप में **0.09 एकड़** के बराबर होता है, को बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत सतत् लीज पर लिया जाना है।

जगतपुर लघु नहर ओ0एल0–5 जलवाहा निर्माणार्थ हेतु सतत् लीज (LEASE PERPETUAL) हेतु भूमि का ब्यौरा मौजा का नामः–जगतपुर चा0–1, राजस्व थाना–मधुबनी, न0–27, अंचल–रहिका, जिला–मधुबनी

खाता संख्या	प्लाट संख्या	कुल खतियानी क्षेत्र(रकबा)	अर्जन की जानेवाली भूमि की रकवा	अर्जन की जानेवाली भूमि की चौहदी	भूमि का वर्गीकरण	खतियानी रैयत का नाम	पूरा पता सहित वर्तमान रैयत का नाम	जमाबंदी संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1921	647	0.20	0.09	उ0 खेसरा सं0 646 द0 खेसरा सं0 648 पू0 नीज प0 खेसरा सं0 637 एवं 638	परती	अंचलाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर हरिश्चन्द्र पासवान पिता झोली पासवान	हरिश्चन्द्र पासवान पिता झौली पासवान साकिन जगतपुर	17
		कुल=	0.09 एकड़					

उपर्युक्त विवरणी के कॉलम 7 एवं 8 में अंकित रैयतों से अनुरोध है कि इस सूचना के प्रकाशन होने की तिथि से एक पक्ष के अन्दर बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के प्रावधानान्तर्गत सतत् लीज पर भूमि प्रदान करने एवं मुआवजा प्राप्त करने की सहमति अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाय। रैयतों को मुआवजा का भुगतान अंचल कार्यालय से निर्गत अद्यतन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं राजस्व रसीद तथा अन्य स्वत्व संबंधी कागजातों को प्रस्तुत करने लीज डीड के निष्पादन के उपरान्त किया जायेगा। यह सूचना उन सभी हितबद्ध व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध हो। अगर किसी व्यक्ति को उपरोक्त भूमि के संबंध में कोई दावा/अपत्ति हो तो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर अपना दावा/आपत्ति लिखित रूप से साक्ष्यों के साथ **विशेष भू अर्जन पदाधिकारी कोशी योजना, दरभंगा** के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा भविष्य में कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

इसे महत्वपूर्ण समझा जाय।

विशेष भू अर्जन पदाधिकारी
कोशी योजना दरभंगा।